न्यायालय :– ग्राम न्यायालय, रूपवास, जिला भरतपुर (राज.)

पीठासीन अधिकारी	:–	निखिल कुमार नाड, आर.जे.एस.
फौजदारी प्रकरण संख्या	:–	155 / 2022
सी.आई.एस. नंबर	:–	155 / 2022
प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या	:–	54 / 2022 थाना रूपवास

राजस्थान राज्य जरिए सहायक अभियोजन अधिकारी, रूपवास

———अभियोगी

बनाम

केशपालसिंह पुत्र गोविंद सिंह आयु 27 वर्ष निवासी नगला कमाल थाना खेरागढ़, जिला आगरा यू0पी0 मो.नं.– 9173143374

———अभियुक्त

अपराध अन्तर्गत धारा 279, 337, 338 भा.दं.सं.

उपस्थितः–

1–विद्वान सहायक अभियोजन अधिकारी, राज्य की ओर से।

2–श्री सुरेन्द्र सिंह परमार, विद्वान अधिवक्ता, अभियुक्त की ओर से।

अपराध की तिथि	18.08.2021	साक्ष्य प्रारंभ होने की तिथि	17.07.2023
प्र.सू.रि. की तिथि	04.02.2022	निर्णय सुरक्षित रखने की तिथि	25.10.2023
चालान की तिथि	19.07.2022	निर्णय की तिथि	25.10.2023
आरोप विरचन की तिथि	19.07.2022	सजा की तिथि, अगर हो तो	––

–: निर्णय :–

दिनांक :– 25.10.2023

1. इस प्रकरण का उद्भव परिवादी काशीराम द्वारा प्रदर्श–पी1 प्रार्थना पत्र दिनांक 28.10.2021 को इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने से हुआ, जिसके संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार से है कि दिनांक 18.08.2021 को शाम करीब 08:00–08:30 बजे परिवादी व जीतू ग्राम घाटौली से हाट में से सब्जी लेकर पैदल–पैदल अपने गांव इब्राहिमपुर जा रहे थे। जैसे ही घाटौली से निकलकर

पुलिया के पास पहुंचे तो पीछे से एक बोलेरो गाड़ी संख्या आर.जे.11 यू.ए. 3583 तेजगति से आयी और उक्त गाड़ी के चालक ने लापरवाही से चलाकर परिवादी के टक्कर मारी, जिससे उसके शरीर पर काफी चोटें आयीं। गाड़ी का चालक परिवादी को घायल अवस्था में छोड़कर भाग गया। परिवादी के घरवाले उसे देशवार हॉस्पीटल दिगंबर हॉस्पीटल भरतपुर में ले गए, जहां उसको दो दिन तक रखा व स्थिति गंभीर होने के कारण उसे एस.एम.एस. हॉस्पीटल जयपुर ले गए। उसके बाद परिवादी के घरवाले उसे एस.एम. हॉस्पीटल ग्वालियर ले गए। दुर्घटना में परिवादी की पसलियों, रीड़ की हड्डी, कमर व पैर में गंभीर चोट आयी।——इत्यादि।

2. उक्त प्रार्थना पत्र के आधार पर थाना रूपवास में प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 54 / 2022 पंजीबद्ध की गई, जिसमें बाद अनुसंधान अभियुक्त के विरूद्ध दिनांक 19.07.2022 को इस न्यायालय के समक्ष धारा 279, 337, 338 भा.दं.सं. के तहत आरोप पत्र प्रस्तुत किया। उसी दिनांक को पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर अभियुक्त के विरूद्ध धारा 279, 337, 338 भा.दं.सं. के तहत प्रसंज्ञान लिया गया और अभियुक्त को धारा 279, 337, 338 भा.दं.सं. के अपराध का आरोप सारांश मौखिक रूप से सुनाया व समझाया गया, जिसे सुन समझकर अभियुक्त ने अस्वीकार किया और अन्वीक्षा चाही।

3. साक्ष्य अभियोजन में निम्न गवाहान को परिक्षित करवाया एवं प्रलेखीय साक्ष्य में निम्न दस्तावेजों को प्रदर्शित करवाया :—

मौखिक साक्ष्य		**दस्तावेजी साक्ष्य**	
पी0ड0 1	काशीराम	प्रदर्श पी.1	प्रार्थना पत्र
पी0ड0 2	थानसिंह	प्रदर्श पी.2	नक्शा मौका
पी0ड0 3	गुलाबसिंह	प्रदर्श पी.3	चोट प्रतिवेदन काशीराम
पी0ड0 4	जितेन्द्र	प्रदर्श पी.4	गुलाबसिंह का पुलिस बयान
पी0ड0 5	मदनसिंह	प्रदर्श पी.5	जितेन्द्र का पुलिस बयान
पी0ड0 6	पुष्पेन्द्र सिंह	प्रदर्श पी.6	एक्स—रे रिपोर्ट काशीराम

पी0ड0 7	डॉ. राजकुमार	प्रदर्श पी.7 लगायत प्रदर्श पी.9	एक्स–रे प्लेट
		प्रदर्श पी.10	नोटिस धारा 133 एम.वी. एक्ट
		प्रदर्श पी.11	नोटिस धारा 134 एम.वी. एक्ट

4. अभियुक्त के विरुद्ध पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य से अवगत कराते हुए उसके बयान मुलजिम अंतर्गत धारा 313 दं.प्र.सं. दिनांक 07.10.2023 को लेखबद्ध किए जिसमें सभी गवाहान की साक्ष्य को झूंठा होने के आधार पर गलत होना बताया और साक्ष्य सफाई प्रस्तुत करने से इंकार किया।

5. बहस अंतिम सुनी गई। दौराने बहस सहायक अभियोजन अधिकारी ने कथन किया कि पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य से अभियुक्त के विरूद्ध आरोपित अपराध सन्देह से परे प्रमाणित होता है इसलिए अभियुक्त को आरोपित अपराध में अधिक से अधिक सजा से दंडित किये जाने का निवेदन किया। वहीं दूसरी ओर अभियुक्त अधिवक्ता ने कथन किया कि प्रकरण में घटना के मुख्य गवाहान की साक्ष्य में परस्पर विरोधाभास है इसलिए अभियुक्त को सन्देह का लाभ दिया जाकर दोषमुक्त किया जावे।

6. प्रकरण के निस्तारणार्थ न्यायालय को निम्न बिन्दुओं पर विचार करना है:–

1. **क्या अभियुक्त ने प्रश्नगत वाहन को गफलत एवं लापरवाहीपूर्वक चलाते हुए मानव जीवन संकटापित किया एवं प्रश्नगत वाहन से काशीराम के टक्कर मारी, जिससे उसके साधारण व गंभीर उपहति कारित हुई?**
2. **यदि हॉ तो अभियुक्त को किस सजा से दण्डित किया जावे?**

7. हस्तगत मामले में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय का न्यायिक दृष्टांत **संग्राम सिंह बनाम राजस्थान राज्य** (1990–2–आरएलआर– 726) सुसंगत है, जिसके अनुसार सडक दुर्घटना के मामलों में अभियोजन पक्ष को

सर्वप्रथम अभियुक्त द्वारा प्रश्नगत वाहन को चलाये जाने का तथ्य प्रमाणित करना आवश्यक है। तत्पश्चात् उसके द्वारा वाहन को लापरवाही या गफलतपूर्वक चलाये जाने के तथ्य को प्रमाणित करना होता है।

8. उपरोक्त विधि के परिप्रेक्ष्य में प्रार्थना पत्र प्रदर्श–पी1 के अवलोकन से यह प्रकट होता है कि घटना के समय मौके पर परिवादी पी0ड01 काशीराम एवं पी0ड04 जीतेन्द्र मौजूद थे। उक्त व्यक्तियों के अलावा घटना को देखने वाले अथवा मौके पर मौजूद अन्य किसी व्यक्ति का नाम प्रार्थना पत्र प्रदर्श पी.1 में वर्णित नहीं है। पी0ड01 काशीराम ने मुख्य परीक्षण में प्रदर्श पी.1 में वर्णित तथ्यों की पुनरावृत्ति करते हुए बोलेरो वाहन संख्या आर.जे.11 यू.ए. 3583 द्वारा केवल स्वयं के टक्कर मारने का अभिकथन किया है, परंतु अपनी संपूर्ण साक्ष्य में टक्कर मारने वाले वाहन के चालक के नाम अथवा पहचान का उल्लेख नहीं किया है। इसी प्रकार घटना के अन्य चक्षुदर्शी गवाह पी0ड04 जीतेन्द्र ने भी टक्कर मारने वाले वाहन के चालक के नाम अथवा पहचान से अनभिज्ञता जाहिर की है।

9. यद्यपि पी0ड01 काशीराम ने मुख्य परीक्षण में टक्कर मारने वाले वाहन का नाम बोलेरो एवं पंजीयन संख्या आर.जे.11 यू.ए. 3583 बताए हैं, परंतु प्रतिपरीक्षण में वाहन के नाम एवं पंजीयन नंबर को देखे जाने से इनकार करने के आधार पर अनभिज्ञता प्रकट की है। इसी प्रकार पी0ड04 जीतेन्द्र ने भी अपनी संपूर्ण साक्ष्य में टक्कर मारने वाले वाहन के पंजीयन नंबर से अज्ञानता जाहिर की है।

10. उक्त दोनों गवाहान की साक्ष्य से टक्कर मारने वाले वाहन एवं उसके चालक की पहचान स्थापित नहीं होती है। उक्त दोनों गवाहान के अतिरिक्त अभियोजन पक्ष ने पी0ड02 थानसिंह व पी0ड03 गुलाबसिंह को घटना के चक्षुदर्शी गवाहान के रूप में प्रस्तुत किया है, परंतु न केवल पी0ड02 व पी0ड03 स्वयं घटना के बाद मौके पर पहुंचने का अभिकथन करते हैं, अपितु पी0ड01 व पी0ड04 की साक्ष्य के अनुसार भी पी0ड02 व पी0ड03 दुर्घटना कारित होने के पश्चात् मौके पर पहुंचे थे। पी0ड02 थानसिंह एवं पी0ड03 गुलाबसिंह ने भी दुर्घटना नहीं देखने की वजह से टक्कर मारने वाले वाहन के पंजीयन

नंबर एवं चालक के नाम अथवा पहचान के संदर्भ में कोई साक्ष्य प्रकट नहीं की है।

11. यहां यह उल्लेखनीय है कि टक्कर मारने वाले वाहन के मॉडल के संदर्भ में भी गवाहान की साक्ष्य में परस्पर विरोधाभास है। पी0ड01 ने मुख्य परीक्षण में टक्कर मारने वाले वाहन का मॉडल बोलेरो होना एवं प्रतिपरीक्षण में अनभिज्ञता जाहिर किया है। वहीं दूसरी ओर पी0ड02 थानसिंह ने टक्कर मारने वाले वाहन का मॉडल मार्शल होना बताया है, जबकि पी0ड04 जीतेन्द्र ने भी टक्कर मारने वाले वाहन का मॉडल बोलेरो बताया है। इस प्रकार पी0ड01 लगायत पी0ड04 की विरोधाभासी साक्ष्य के आधार पर टक्कर मारने वाले वाहन एवं उसके चालक की पहचान प्रमाणित नहीं होती है।

12. ऐसी स्थिति में प्रश्नगत वाहन के स्वामी पी0ड05 मदनसिंह की साक्ष्य महत्वपूर्ण है, जिसने अपनी साक्ष्य में प्रश्नगत वाहन स्वयं के स्वामित्व की होने और नोटिस प्रदर्श पी.10 पर ए से बी स्थान पर स्वयं के हस्ताक्षर व सी से डी स्थान पर जवाब होने की पहचान की है। उक्त गवाह ने स्पष्ट रूप से मुख्य परीक्षण एवं सहायक अभियोजन अधिकारी द्वारा की गई जिरह में वक्त घटना उसके वाहन पर चालक केश पाल सिंह होना स्वीकार किया है, परंतु अभियुक्त द्वारा किए गए प्रतिपरीक्षण में उसके स्वामित्व के वाहन पर घटना के समय मौके पर मौजूद नहीं होने की वजह से चालक से अनभिज्ञता जाहिर की है।

13. इस संदर्भ में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय का न्यायिक दृष्टांत **राजस्थान राज्य बनाम कैलाशचंद (2012–2–कि.लॉ.रि. 694)** सुसंगत है, जिसमें माननीय न्यायालय ने यह सिद्धांत प्रतिपादित किया है कि *"All of the witnesses have merely said that the accident occurred with Mini-Truck No. RJ-06/G-3713. However, none of the witnesses have been able to identify as to who the driver was at the relevant time. Moreover, since the driver was a total stranger to the eye-witnesses, even after his arrest, he was not subjected to a test identification parade. Therefore, the prosecution has failed to prove the identity of the driver of the Mini-Truck.* ***Merely because the owner has claimed that he was the driver, a presumption cannot be drawn that at the relevant time the vehicle was driven by the***

accused respondent" उक्त न्यायिक दृष्टांत के तथ्यों के अनुरूप हस्तगत मामले में भी चालक को गवाह पहले से नहीं जानते थे। दौराने अनुसंधान चालक के संदर्भ में शिनाख्तगी की कार्यवाही नहीं की गयी। किसी भी गवाह ने चालक को देखे जाने का कथन नहीं किया है और केवल वाहन स्वामी की साक्ष्य के आधार पर प्रश्नगत वाहन के चालक के संदर्भ में उपधारणा नहीं की जा सकती और न ही वाहन स्वामी की साक्ष्य के आधार पर अभियुक्त का घटना के समय प्रश्नगत वाहन का चालक होने का तथ्य संदेह से परे प्रमाणित होता है।

14. दौराने विचारण अभियुक्त ने अपराध अस्वीकार करते हुए फर्द जब्ती कार, मैकेनिकल मुआयना कार को स्वीकार किया है। उक्त आधारों पर सहायक अभियोजन अधिकारी के निवेदन पर उक्त दस्तावेजों से संबंधित गवाहान संख्या 6, 7, 8, 10 व 12 को तर्क किया गया। आहत काशीराम के शरीर पर साधारण एवं गंभीर प्रकृति की चोटें कारित होना स्वीकृत तथ्य है। पी0ड07 डॉ. राजकुमार द्वारा आहत की चोटों का परीक्षण करने, पी0ड06 पुष्पेन्द्र सिंह द्वारा प्रकरण का अनुसंधान करने के औपचारिक साक्षी है। दोनों गवाह वक्त घटना मौके पर मौजूद नहीं थे और अनुसंधान अधिकारी की साक्ष्य के अनुसार उसने केवल धारा 133 व 134 एम.वी. एक्ट के नोटिस के जवाब के आधार पर घटना के समय प्रश्नगत वाहन का चालक केशपाल सिंह होना पाया था। उपरोक्त विवेचन अनुसार वाहन स्वामी एवं मुख्य गवाहान की साक्ष्य से प्रश्न गत वाहन का घटना के समय चालक अभियुक्त ही होने का तथ्य संदेह से परे प्रमाणित नहीं होता है। इसलिये उक्त दोनों गवाहान की साक्ष्य का विस्तृत रूप से विवेचन करने का कोई औचित्य प्रकट नहीं होता है।

15. परिणामस्वरूप माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के उक्त न्यायिक दृष्टांत एवं उपरोक्त विवेचनानुसार अभियुक्त आरोपित अपराध से दोषमुक्त किये जाने योग्य पाया जाता है।

—आदेश—

16. परिणामतः अभियुक्त केशपालसिंह पुत्र गोविंद सिंह आयु 27 वर्ष निवासी नगला कमाल थाना खेरागढ़, जिला आगरा यू0पी0 मो.नं.— 9173143374 को धारा 279, 337, 338 भा.दं.सं. के आरोप से साक्ष्य के अभाव में सन्देह का

लाभ देकर दोषमुक्त किया जाता है। प्रकरण में जब्तशुदा वाहन कार बोलेरो संख्या आर.जे.11 यू.ए. 3583 को न्यायालय के आदेश दिनांक 18.02.2022 की पालना में वाहन स्वामी मदनसिंह पुत्र भंवरसिंह निवासी मावली का नंगला थाना कंचनपुर, जिला धौलपुर राज0 को सुपुर्दगी पर दिया जा चुका है। उक्त वाहन स्वामी/सुपुर्दगीदार के पास बने रहे। सुपुर्दगीनामा एवं जमानतनामा बाद गुजरने मियाद अपील/निगरानी के 6 माह पश्चात् स्वतः निरस्त किये जाते हैं। प्रकरण में अन्य कोई माल जब्त नहीं है। अभियुक्त के इस न्यायालय में नियमित उपस्थिति बाबत प्रस्तुत जमानत मुचलके निरस्त किए जाते हैं।

(निखिल कुमार नाड)
न्यायाधिकारी, ग्राम न्यायालय,
रूपवास, भरतपुर (राज.)

17. यह निर्णय आज दिनांक 25.10.2023 को मेरे द्वारा सरे इजलास लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर सुनाया गया।

(निखिल कुमार नाड)
न्यायाधिकारी, ग्राम न्यायालय,
रूपवास, भरतपुर (राज.)